भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 293*

21 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए नियत

"इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण पर लगने वाली लागत"

***293. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:**

डॉ. सुजय विखे पाटील:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत आठ वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और इससे संबंधित कल-पुर्जों के विनिर्माण पर औसतन कितनी लागत आई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इलेक्ट्रिक वाहन की उत्पादन लागत में हुई प्रतिशत वृद्धि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त उत्पादों के आयात संबंधी लागत में वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन संबंधी उत्पादों को जनता के लिए और अधिक किफायती बनाने के लिए किसी योजना का प्रस्ताव किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग मंत्री

(डॉ. महेंद्र नाथ पाण्डेय)

(क) से (ड.): विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

******

विवरण

"इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण पर लगने वाली लागत" के संबंध में लोकसभा में दिनांक 21.03.2023 को उत्तर के लिए नियत श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल और डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखे पाटील के तारांकित प्रश्न संख्या 293 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग) : भारी उद्योग मंत्रालय इलेक्ट्रिक वाहनों और उससे संबंधित मदों के किसी भी मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) के स्वामित्व संबंधी आंकडे नहीं रखता। साथ ही, सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) से सूचना प्राप्त की गई है और वे भी इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण पर लगने वाली लागत के संबंध में आंकड़े नहीं रखते।

(घ) और (ड.) : जी, हाँ। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और इसे जनता के लिए और अधिक किफायती बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) सरकार ने 2015 में भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम का शुभारंभ किया और फिलहाल फेम इंडिया स्कीम के चरण-।। को 01 अप्रैल, 2019 से 5 वर्ष की अवधि के लिए कुल 10,000 करोड़ रूपए की बजटीय सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है। फेम-II का यह चरण 7,090 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहिया वाहनों, 55,000 ई-चौपहिया यात्री कारों और 10 लाख ई-दुपहिया वाहनों को सब्सिडी के माध्यम से सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण के लिए सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। स्कीम का विवरण http://fame2.heavyindustries.gov.in/index.aspx पर है।

(ii) सरकार ने देश में अपने विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के विनिर्माण हेतु 12 मई, 2021 को उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को मंजूरी दी। स्कीम का बजटीय परिव्यय 18,100 करोड़ रुपये है। स्कीम में 50 गीगावाट घंटे की एसीसी बैटरी विनिर्माणकारी संचयी क्षमता स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। स्कीम का विवरण https://heavyindustries.gov.in/UserView/index?mid=2487 पर है।

(iii) इलेक्ट्रिक वाहनों को ऑटोमोबिल और ऑटो घटकों के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन) पीएलआई (स्कीम के तहत भी प्रोत्साहित किया जाता है जिसे 5 वर्ष की अवधि के लिए 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से 15 सितंबर 2021 को अनुमोदित किया गया है। स्कीम का विवरण https://heavyindustries.gov.in/UserView/index?mid=2482 पर है।

(iv) इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है; इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

(v) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि बैटरी चालित वाहनों को हरे रंग की लाइसेंस प्लेट दी जाएगी और उन्हें परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

(vi) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर पथकर माफ करने की सलाह देते हुए एक अधिसूचना जारी की है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रारंभिक लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

***